संख्या- 15/एन0बी0-988/58-2014-44/2014

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0
नई दिल्ली।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

4- समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 07 नवम्बर, 2014**

विषय :- प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत लागू की जानी वाली औद्यानिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु विभिन्न छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के औद्यानिक उत्पादन में तुडाई के उपरान्त होने वाली क्षतियों को और अधिक कम करने के उद्वेश्य से प्रदेश के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत भी बहुउद्वेशीय/बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना, पैक हाउस, ग्रेडिंग कलेक्शन सेन्टर, समेकित कोल्ड चेन आदि की स्थापना कराये जाने की आवश्यकता कृषक हित में होती है। उक्त व्यवस्था इस कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्यानिक उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकिंग, भण्डारण एवं अवशीतन की सुविधायें कृषकों/उद्यमियों को उनके उत्पादन क्षेत्र के अधिक से अधिक समीप ही उपलब्ध कराने से उनके उत्पादों की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनी रहेगी, किन्तु वर्तमान में उपरोक्त कार्य-कलापों की स्थापना हेतु कृषकों/उद्यमियों को प्रभाव कर (इम्पैक्ट टैक्स) देना पड़ता है।

2- इस प्रकार प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि भूमि पर शीतगृह आदि स्थापित किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर देय प्रभाव कर (इम्पैक्ट टैक्स) के कारण भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनुदान देकर प्रोत्साहित किये जाने वाले उक्त कार्य-कलापों पर प्रभाव कर के रूप में कृषकों/उद्यमियों द्वारा शासन को धनराशि का भुगतान करने के कारण शासन द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिये जाने की मंशा पूर्ण ही नहीं होती है तथा कृषक/उद्यमी इस प्रकार की योजनाओं को अपने क्षेत्रों में लागू करने हेतु प्रेरित नहीं हो पाते हैं।

3- अत: श्री राज्यपाल कृषि का व्यवसायीकरण करने एवं कृषकों को उनके उत्पादों का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्वेश्य से उत्पादन स्थल के समीप कृषि भूमि पर इन्टीग्रेटेड पैकिंग एवं ग्रेडिंग केन्द्र, कलेक्शन सेन्टर, वैल्यू एडिशन हेतु प्राइमरी प्रसंस्करण इकाई एवं आधुनिक

2/.....

http://shasanadesh.up.nic.in

सुविधाओं से युक्त शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें प्रमोशनल एक्टीविटीज मानते हुए "इम्पैक्ट टैक्स" से मुक्त रखने और कृषि भूमि के उपयोग हेतु भू-उपयोग सीमा 10 से 35 प्रतिशत किये जाने की छूट प्रदान करने तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा इस छूट की व्यवस्था विकास प्राधिकरणों द्वारा अन्य सम्पत्तियों पर क्रास सब्सिडाइजेशन से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- यह शासनादेश यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीडा की अधिसूचित क्षेत्र में लागू नहीं माना जायेगा।

5- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियम/नियम/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

ह/-

(अरूण सिंघल)

प्रमुख सचिव।

संख्या-15/एन0बी0-988(1)/58-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
2- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर (कर निबन्धन विभाग) उ0प्र0 शासन।
9- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
11- समस्त उपनिदेशक उद्यान, उ0प्र0।
12- समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
13- गोपन अनुभाग-1
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह/-

(विजय प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in